20/11/2024

आज दिनांक पत्रावली पेश हुई
वकील श्री उपस्थित है। अपीलार्थी
की ओर से पत्रावलीगत श्री कृष्ण कुमार
गुप्ता द्वारा पेश किया गया वकालतनामा
किया गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील
श्री द्वारा यह मुख्तिल प्रार्थना-पत्र पीठासीन
अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के
विरुद्ध पेश किया गया है, वर्तमान में पीठासीन
अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
का स्थानान्तरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में मुख्तिल
का स्थानान्तरण हो चुका है, किसी कार्यवाही की
प्रार्थना साबीत हो गया है, किसी कार्यवाही को
आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रकरण में प्रार्थित मुख्तिल प्रार्थना
वर्तमान में लाइलाज हो जाने के कारण खारिज किया
जाता है, आदेशिका की प्रमाणित प्रति तहत अदालत
की लिपिकीय पावती पत्रावली चैलेंज-कुमार हो कर
ही कम नीचावर कार तकमील दाखिल करा रिकार्ड
हो।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा
प्रकरण संख्या | 15/63/2024
अनवान | उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा